बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं०सं०—4 / वि०मु०—20—154 / 12—................................ / एम०, पटना, दिनांक..........................

Web

प्रेषक,

अरूण प्रकाश, भा०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ई—मेल / फैक्स

सेवा में,

सभी उप निदेशक, अंचल कार्यालय
सभी सहायक निदेशक, अंचल कार्यालय / जिला खनन कार्यालय
सभी खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय
सभी खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय

विषयः— माननीय न्यायालयों में दायर वादों के क्रम में अपेक्षित कार्रवाईयाँ किये जाने के संबंध में।

महाशय,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में दायर वादों के संबंध में आपके स्तर से कार्रवाई अपेक्षित होने पर निर्धारित समय—सीमा के भीतर S.O.F. (तथ्य विवरणी) / प्रतिशपथ पत्र आदि से संबंधित कार्रवाईयाँ तीव्र गति से सम्पन्न किये जाने संबंधी निदेश दिये जाते रहे हैं।

विभागीय स्तर पर प्रधान सचिव महोदय द्वारा इस बात की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में ज्यादातर सामान्य प्रकृति के मामले होते हैं, न कि नीति निर्धारण संबंधी मामले। ऐसे वादों से संबंधित सभी अभिलेख जिला खनन कार्यालय में ही संधारित रहते हैं। ऐसे वादों में मुख्यालय के पदाधिकारियों को मात्र प्रोफॉर्मा प्रतिवादी बनाया जाता है। इस तरह के मामलों में तथ्य विवरणी मुख्यालय / विभाग स्तर पर अनुमोदन हेतु भेजा जाता है, जिससे माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ—पत्र दायर करने में अनावश्यक विलंब होते हैं। साथ ही नीति निर्धारण संबंधी मामलों में तथ्य विवरणी बिना विभाग से अनुमोदित कराये ही प्रतिशपथ पत्र दायर कर दिये जा रहे हैं।

उपरोक्त के आलोक में निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैं—

1. माननीय न्यायालय से संबंधित वैसे मामले जो विभागीय नीति—निर्धारण से संबंधित नहीं हो, उन मामलों में संबंधित समाहर्त्ता से तथ्य विवरणी अनुमोदित कराकर ससमय प्रतिशपथ—पत्र दायर किया जाना सुनिश्चित करते हुए ओथ संख्या विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2. मुख्यालय / विभाग स्तर पर नीति—निर्धारण से संबंधित वादों / मामलों में तथ्य विवरणी विभाग स्तर से अनुमोदन के उपरांत ही शपथ पत्र दायर किया जाय।

3. माननीय न्यायालयों से संबंधित सभी मामलों यथा सी०डब्लू०जे०सी०, क्रिम० डब्लू०जे०सी०, एल०पी०ए०, एम०जे०सी०, एस०एल०पी० अथवा अन्य मामलों में आपके स्तर पर अगर कार्रवाई लंबित / अपेक्षित है तो तीन दिनों के अन्दर सारी अग्रेत्तर कार्रवाई संपन्न करे।

4. किसी भी स्तर पर अगर न्यायालयीय कार्य बाधित होने से राज्य के हितों का नुकसान होता है तो सारी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी।

5. संबंधित अंचल प्रभारी अपने अधीनस्थों से माननीय उच्च न्यायालय में ससमय प्रतिशपथ—पत्र दायर कराना सुनिश्चित करेंगे एवं इसका निरंतर अनुश्रवण करेंगें।

विश्वासभाजन

ह0 / —

सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक–...एम0, पटना, दिनांक......................................
प्रतिलिपिः–सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–......3461......................................एम0, पटना, दिनांक 27/8/18......................
प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27/8/2018

सरकार के संयुक्त सचिव।